प्रेषक,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद उ0प्र0,
अनुभाग–5, लखनऊ।

सेवा में,

1– समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

2– समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

संख्या : R-1980/41 ए/2017

दिनांक : 31/07/2017

विषय : **ऋण मोचन योजना के अन्तर्गत अभियान चलाकर संयुक्त खातों की भूमि में किसानों का अंश निर्धारण के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासन के पत्र संख्या 536/एक–7–2017–रा0–7, दिनांक 26 जुलाई 2017 एवं परिषदादेश संख्या जी–226/जी–5–41ए/17 दिनांक 17 जुलाई 2017, संख्या जी–245/41ए/17 दिनांक 27 जुलाई 2017 व संख्या जी–252/जी–5–41ए/17 दिनांक 28 जुलाई 2017 के क्रम में **ऋण मोचन योजना के अन्तर्गत** कृषकों से लिये जाने वाले शपथ–पत्र का प्रारूप तथा इस सम्बन्ध में दिनांक 01.08.2017 से अंश निर्धारण के सम्बन्ध में प्रेषित की जाने वाली दैनिक सूचना का प्रारूप परिषद के वेबसाइट **(http://bor.up.nic.in)** पर अपलोड कर दिया गया है।

कृषकों के ऋण मोचन योजना के अंतर्गत अंश निर्धारण की कार्यवाही सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर की जायेगी। कृषकों को शपथ–पत्र हेतु सुविधा प्रदान करने के लिये आवश्यकतानुसार कैम्प मोड में कार्य किया जाये और इसका व्यापक प्रचार–प्रसार भी किया जाये। इस सम्बन्ध में स्थानीय नोटरीगणों से समन्वय भी स्थापित कर लिया जाये। उक्त शपथ–पत्र नियमानुसार रू0 10/– के स्टाम्प पेपर पर निष्पादित किया जा सकता है।

जिलाधिकारी निर्धारित प्रारूप पर संकलित **सूचना परिषद की वेबसाइट (http://bor.up.nic.in) पर प्रत्येक दशा में 01 अगस्त 2017 से 07 अगस्त 2017 तक प्रतिदिन सायं 05:00 बजे तक फीड कराना सुनिश्चित** करेंगें एवं इस अवधि में किसी भी समस्या के समाधान हेतु परिषद के फोन नम्बर 0522–2217155 व नोडल अधिकारी के फोन नम्बर 0522–2217122 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

संलग्नक :– यथोक्त।

भवदीय,
31/7/2017
(भीष्म लाल वर्मा)
उप भूमि व्यवस्था आयुक्त,
कृते आयुक्त एवं सचिव।

प्रतिलिपि :– प्रमुख सचिव (राजस्व), उ0प्र0 शासन, लखनऊ को सूचनार्थ।

(भीष्म लाल वर्मा)
उप भूमि व्यवस्था आयुक्त,
कृते आयुक्त एवं सचिव।

संलग्नक - 1

समक्ष – तहसीलदार / नायब तहसीलदार..............................

तहसील.............................. जनपद..............................

कृषक ऋण मोचन योजना हेतु

शपथ पत्र

1. यह कि मैं .... पिता / पति का नाम.. पता...निवासी हूँ और मैं शपथपूर्वक बयान करता / करती हूँ कि –

2. यह कि मेरी उ0प्र0 राज्य में निम्नलिखित ग्रामों में निम्न विवरण के अनुसार भूमि है, जिसका / जिसकी मैं संक्रमणीय / असंक्रमणीय भूमिधर हूँ –

क्र0 सं0	जनपद का नाम	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खाता संख्या	गाटा संख्या	गाटे का कुल क्षेत्रफल	गाटे में प्रार्थी का हिस्सा	
							अंश	क्षेत्रफल (हे0 में)
i								
ii								
iii								
						कुल योग		

3. यह कि पैरा 2 के विवरण के अनुसार मैं उ0प्र0 राज्य में कुल क्षेत्रफल .... भूमि धारित करता / करती हूँ।

4. यह कि पैरा 2 में उल्लिखित भूमि के अतिरिक्त मेरे पास उ0प्र0 राज्य में अन्य कोई भूमि नहीं है। यदि मेरे पास अन्य कोई भूमि प्रकाश में आती है तो मेरे द्वारा **कृषक ऋण मोचन योजना** के अंतर्गत प्राप्त किये गये लाभ की ब्याज सहित वसूली की जा सकेगी और असत्य सूचना देने हेतु मेरे विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जा सकेगी।

शपथी

यह कि शपथ पत्र के पैरा 1, 2, 3 व 4 पर मेरे द्वारा दी गयी सूचना मेरे निजी ज्ञान से सही है, इसमें कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है।

शपथी

संलग्नक – 2

ऋण मोचन योजना में अंश निर्धारण की दैनिक रिपोर्ट का प्रारूप

जनपद का नाम...................................... दिनांक............................

जनपद में ऋण मोचन योजना के अंतर्गत अंश निर्धारण हेतु कुल कृषकों की संख्या	जनपद में ऋण मोचन योजना हेतु प्राप्त शपथ पत्रों की संख्या	लघु/सीमांत निर्धारित किये गये कृषकों की संख्या व प्रेषित रिपोर्ट	अवशेष कृषकों की संख्या

नोट :– उक्त प्रारूप पर प्रतिदिन की सूचना राजस्व परिषद की वेबसाइट **(http://bor.up.nic.in)** के **"ऋण मोचन योजना में अंश निर्धारण प्रपत्र"** पर प्रतिदिन सायं 05:00 बजे तक फीड किया जाना सुनिश्चित करें।